उपायुक्त का न्यायालय, दुमका

रे0मि0 रिविजन वाद सं0– 04/2017–18

बिटी किस्कू .....आवेदक

बनाम

मंगल हेम्ब्रम एवं अन्य ..... विपक्षी

।। आदेश ।।

23/05/2017 यह रे0मि0 रिविजन वाद सं0 04/17–18 बिटी किस्कू बनाम् मंगल हेम्ब्रम एवं अन्य, मौजा डिबरी अंचल काठीकुंड के बीच अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के पी0ए0 वाद सं0 108/2009–10 में पारित आदेश दिनांक 06.10.2016 के विरूद्ध दायर किया गया है।

मैंने उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया।

अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा डिबरी के प्रधान पद पर नियुक्ति हेतु आवेदिका एवं उत्तरकारी के अलावे मौजा के कार्तिक राय द्वारा आवेदन निम्न न्यायालय में दाखिल किया गया था। जिसमें अंचल अधिकारी से जांच प्रतिवेदन पत्रांक 254/रा0 दिनांक 12.06.2015 द्वारा प्राप्त हुआ है। आवेदिका को सं0प0 काश्तकारी अधिनियम के धारा 06 के अन्तर्गत प्रधान पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा किया गया है। किन्तु निम्न न्यायालय में उनके आवेदन को यह कहकर खारीज किया गया कि मौजा के रैयतों की ओर से किसी उम्मीदवार को आम सहमति नहीं दिया गया है। निम्न न्यायालय द्वारा कार्तिक राय एवं विपक्षी का आवेदन को अभिरूचि के आभाव में अस्वीकृत किया गया है।

आवेदिका द्वारा आवेदन में वर्णित वंशावली एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख में अंचल अधिकारी द्वारा समर्पित प्रतिवेदन में दर्शाये गये वंशावली के अनुसार आवेदिका मौजा के स्व0 राम हेम्ब्रम प्रधान के तृतीय पुत्र के पोता का पत्नी है। अंचल अधिकारी द्वारा प्रतिवेदन में आवेदिका को प्रधान पद पर धारा 06 के अन्तर्गत नियुक्ति हेतु सहमति व्यक्त की गई है किन्तु रैयतों की ओर से किसी प्रकार का आम सहमति प्राप्त न होने के कारण वाद की कार्रवाई खारीज की गई है।

इस पर आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि अंचल अधिकारी का प्रतिवेदन आवेदिका के पक्ष में है एवं 16/– रैयतों द्वारा भी आवेदिका का नाम प्रस्तावित किया जा रहा है। अतः इनके आवेदन को स्वीकृत किया जाय।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि विपक्षी मंगल हेम्ब्रम बीमार चल रहें थे। फलतः उनके दावों को निम्न न्यायालय द्वारा अस्वीकृत किया गया। अतः उन्हें एक मौका दिया जाय। किन्तु इनके ओर से बिमारी संबंधी कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया है।

इस प्रकार अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विपक्षी के दावों को उनके अनुपस्थिति के कारण अस्वीकृत किया गया एवं आवेदिका को मौजा के रैयत का किसी प्रकार का आम सहमति प्राप्त नहीं होने के कारण उनके दावों को खारीज किया गया है। इस न्यायालय में 16/– रैयतों की ओर से आवेदिका के समर्थन में आवेदन दाखिल किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि रैयत मौजा में आवेदिका को प्रधान के रूप में चाहते है। अतः निम्न न्यायालय को आदेश दिया जाता है कि दोनों पक्षों के दावों पर विचार करते हुए 16/– रैयतों से आम सहमति प्राप्त कर नियमानुसार धारा 06 के अन्तर्गत प्रधान नियुक्त किया जाय।

लेखापित एवं संशोधित ।

उपायुक्त
दुमका।

उपायुक्त
दुमका।